कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 371 / तकनीकी / 2007 भोपाल, दिनांक 03 फरवरी 2007.

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में पक्षकारों के व्यक्तिगत विवरण स्पष्ट दर्शाये जाने के संबंध में ।

———0———

प्रदेश में बकाया राजस्व की वसूली के प्रकरणों में निराकरण में एक प्रमुख समस्या यह देखने में आई है कि पक्षकारों के नाम पते का स्पष्ट उल्लेख न होने से, जिन पक्षकारों से वसूली की जाना है, उन्हें सूचना–पत्र तामील नहीं हो पाते है । इससे प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है, तथा वसूलियां लम्बित रहती है । प्रमुख सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में गंभीर चिंता जताई गई है ।

मुद्रांक एवं बकाया वसूली प्रकरणों के निराकरण में आने वाली इस कठिनाई को देखते हुए यह आवश्यक है कि पक्षकारों की पहचान स्पष्ट करने के लिये उनके व्यक्तिगत विवरण दस्तावेज में स्पष्ट अंकित कराए जाएं ताकि, बकाया राजस्व वसूली की कार्यवाही में असुविधा न हों । इस संबंध में पक्षकारों से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी का समावेश संगत दस्तावेजों में कराया जाना अपेक्षित है ।

(1) मतदाता पहचान–पत्र;

(2) पेन [PAN] नम्बर;

(3) ड्रायविंग लायसेंस;

(4) पासपोर्ट;

(5) बैंक खाता क्रमांक ।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों में संबंधित व्यक्ति में प्रमाणित फोटो लगे होते है । अतः उक्त फोटो से पहचान की पुष्टि करने के उपरांत उक्त विवरण अंकित किये जाने चाहिए।

निरंतर......2

उपर्युक्त में से अधिकाधिक बिन्दुओं पर उपलब्ध जाानकारी का समावेश पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में कराया जाये । प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशानुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जानी है । अतः उपर्युक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

हस्ता/–
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

पृष्ठांकन क्रमांक/372/तकनीकी/2007 भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2007

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/133/पी0एस0सी0टी0/ भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

हस्ता/–
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.